

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) /

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान में प्रदेश में लागू ई-वे-बिल व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के बाहर से प्रदेश के अन्दर रु० 50 हजार मूल्य से अधिक के सम्यवहारों के लिये ऑनलाइन ई-वे-बिल 1 और इसी प्रकार प्रदेश के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व प्रदेश के अन्दर से प्रदेश के बाहर कतिपय संवेदनशील वस्तुओं के परिवहन के सम्बंध में रु० 50 हजार से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिये ऑनलाइन ई-वे-बिल-2 तथा ई कामर्स आपरेटर कंपनियों के लिये ई-वे-बिल-3 डाउनलोड किया जाना अनिवार्य है।

वर्तमान में ई-वे-बिल व्यवस्था रु० 50 हजार से अधिक माल के मूल्य के परिवहन के लिये लागू की गई है। किन्तु मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि ई-वे-बिल व्यवस्था को निष्प्रभावी करने के लिये व्यापारियों द्वारा अलग-अलग नामों से रु० 50 हजार से कम मूल्य के एक अधिक बिल लगाकर माल का करापवंचन किया जा रहा है तथा इस प्रकार रु० 50 हजार तक से अधिक के माल के लिये ई-वे-बिल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अतः इस सम्बंध में यह निर्देशित किया जाता है यदि किसी वाहन में रु० 50 हजार से कम के 3 से अधिक बिलों द्वारा माल परिवहन किया जाता है तो ऐसे माल से सम्बंधित वाहन का विस्तृत भौतिक सत्यापन किया जाये। जिन व्यापारियों द्वारा माल का परिवहन रु० 50 हजार से कम के बिलों के माध्यम से किया जा रहा है उन वाहनों से सम्बंधित बिलों को संकलित भी किया जाये और संकलित बिलों की सूचना के आधार पर ऐसे व्यापारी की जाँच वि०अनु०शा० इकाई से भी करायी जाये।

मुख्यालय के संज्ञान में यह भी आया है कि व्यापारियों द्वारा ई-वे-बिल की व्यवस्था से बचने के लिये अथवा माल के मूल्य में भारी अवमूल्यन दिखाते हुये करापवंचन किया जा रहा है। मुख्यालय के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले भी लाये गये हैं कि जहाँ मंहगे माल के स्थान पर सस्ते माल की घोषणा जैसे जीरे के स्थान पर सौफ अन ब्राण्डेड माल का परिवहन किया जा रहा है अथवा रेडीमेड गारमेण्ट, शूज आदि में भी भारी अवमूल्यन दर्शाकर करापवंचन का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे वाहनों की भी विस्तृत जाँच की जाये तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरान्त आगामी माह की 05 तारीख तक इस प्रकार के वाहनों की सूचना निम्न प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :-

क्र० सं०	जोन का नाम	कार्यरत स०व० इकाइयों की संख्या	माह में रु० 50 हजार से कम के बिलों से माल परिवहन करने वाले वाहनों की संख्या	बिलों की संख्या	वस्तुओं का नाम	ऐसे बिलों द्वारा परिवहित माल का मूल्य	जाँच का परिणाम
----------	------------	--------------------------------	---	-----------------	----------------	---------------------------------------	----------------

उपर्युक्त निर्देशों से अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।